रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 170] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 1986/श्रावण 16, 1908
No. 170] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 1986/SRAVANA 16, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1986

संख्या बी.-24030/1/86—डब्ल्यू. जी. —भारत सरकार ने दिनांक 17 जुलाई, 1985 के संकल्प संख्या बी-24030/1/85-डब्ल्यू.बी. के तहत चीनी उद्योग के लिए तीसरा मजदूरी बोर्ड गठित किया था। उक्त मजदूरी बोर्ड ने अपनी अंतिम सिफारिशें देने तक, अन्तरिम सहायता के संबंध में एक सिफारिश की है जो कि परिशिष्ट में दी गई है।

2. भारत सरकार ने उक्त मजदूरी बोर्ड की सिफारिश को स्वीकार करने का निर्णय किया है और उक्त उद्योग के नियोजकों से अनुरोध करती है कि वे इसे लागू करें।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प सभी संबंधितों को सूचित किया जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

अजीत सिंह, अपर सचिव

परिशिष्ट

अन्तरिम सहायता के बारे में चीनी उद्योग के लिए गठित तीसरे मजदूरी बोर्ड की अन्तरिम सिफारिशें

भारत सरकार ने तारीख 17 जुलाई, 1985 के संकल्प संख्या बी-24030/1/85-डब्ल्यू. बी. के तहत चीनी उद्योग के लिए तीसरा मजदूरी बोर्ड (जिसे इसके बाद बोर्ड कहा जाएगा) गठित किया है।

2. उक्त बोर्ड के सदस्यों ने चर्चा के दौरान श्रमिकों को इस आधार पर अन्तरिम सहायता देने के मामले को उठाया कि अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मामले में अनुसंधान और विचार-विमर्श करने में काफी समय लग सकता है। इन्हीं आधारों पर चीनी श्रमिक एसोसिएशनों से भी कुछ-अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं इस तरह अन्तरिम सहायता देने के मामले पर विचार किया गया। बेहतर सहायता पाने के लिए, बोर्ड ने निर्णय लिया कि नियोजकों और श्रमिकों के कुछ प्रतिनिधियों के विचारों का पता लगाया जाये। तत्पश्चात् चीनी उद्योग श्रमिकों और उनके नियोजकों के कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों को नोटिस जारी किए गए और वे उक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए। बोर्ड ने केवल अन्तरिम सहायता के मामले पर उनसे बातचीत की।

3. बोर्ड ने दोनों पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। परिस्थिति की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, श्रमिकों को कुछ अन्तरिम सहायता देना औचित्य प्रतीत होता है जबकि इस स्तर

पर परिवर्ती महंगाई भत्ते के विद्यमान फार्मूले की सूक्ष्म जांच किए बिना उसमें कोई परिवर्तन करना न तो उचित है और न वांछनीय ।

4. अन्तरिम सहायता के रूप में निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं :—

(i) दूसरे मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट के सीमा क्षेत्र में आने वाले श्रमिक अन्तरिम सहायता के लिए पात्र होंगे ।

(ii) अपने ग्रेड के अधिकतम वेतन-मान पर पहुंचने वाले श्रमिक अंतिम पंचाट प्रस्तुत होने तक अपने विद्यमान समय-वेतनमान में वार्षिक वेतन-वृद्धि प्राप्त करते रहेंगे ;

(iii) जो श्रमिक पहली जनवरी, 1986 से एक वर्ष या इससे अधिक समय पहले ही अपने वेतनमान का अधिकतम वेतन प्राप्त कर रहे थे, वे अपने विद्यमान वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि पहली जनवरी, 1986 से प्राप्त करने के पात्र होंगे ;

(iv) श्रमिकों को, कर्मकारों और प्रबन्धतंत्र के बीच हुए अंतिम करार के समाप्त होने की तिथि से, या पहली जनवरी, 1986 से, इनमें से जो भी पहले हो, अंतिम रिपोर्ट दिए जाने तक प्रति माह 45/-रु० की अवायगी की जाएगी।

9 जनवरी, 1986

हस्ताक्षर

न्यायमूर्ति जे० एम टण्डन,
अध्यक्ष
ह०/—

(चन्द्रिका सिंह)
सदस्य
हस्ताक्षर

(ओ. पी. धनुका)
सदस्य

हस्ताक्षर
(बी. सत्यनारायण)
सचिव

MINISTRY OF LABOUR

RESOLUTION

New Delhi, the 7th August, 86

No. V.-24030|1|86-WB.—The Third Wage Board for Sugar Industry was constituted by the Government of India by their Resolution No, V-24030|1|85-WB dated the 17th July, 1985. The Wage Board has made a recommendation relating to interim relief, as shown in the Appendix, pending its final recommendations.

2. The Government of India have decided to accept the recommendation of the Wage Board and to request employers in the industry to implement it.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

AJIT SINGH, Additional Secy.

APPENDIX

INTERIM RECOMMENDATION OF THE THIRD WAGE BOARD FOR THE SUGAR INDUSTRY RELATING TO INTERIM RELIEF

The Government of India have set up a Third Wage Board for the Sugar Industry (hereinafter the Board) vide Resolution No. V. 24030|1|85-WB dated 17th July, 1985.

2. The Members of the Board during discussion raised the issue of Interim Relief to the workers on the ground that the research and deliberations in the matter of submission of final Report may take quite sometime. A few representations on similar lines have also been received from sugar workers associations. The issue of Interim Relief has, thus, been considered. The better assistance, the Board decided to hear the views of some of the representatives of the employers and workers. Notices were consequently issued to selective representatives of the sugar industry workers and their employers and they appeared in response thereto. They have been heard by the Board exclusively on the issue of Interim Relief.

3. The Board has carefully considered the points raised by the parties. Keeping in view the totality of the situation, there appears to be justification for allowing some Interim Relief to the workers though it may neither be proper nor desirable to disturb the existing V. D. A. formula at this stage without minute examination.

4. The following recommendations are made by way of Interim relief :

(i) The workers covered by the Second Wage Board Report shall be eligible for the interim relief ;

(ii) The workers reaching the maximum of the grade shall continue to earn annual increments in their existing time scales till the submission of the final award.

(iii) The workers who have already reached the maximum of scale one year or more on the first of January, 1986, shall be entitled to the next increment in the existing scale w.e.f. the 1st of January, 1986 ;

(iv) The workers shall be paid Rs. 45|- per month with effect from the date of the expiry of the last Agreement between the workers and the management or 1st of January, 1986, whichever is earlier, till the submission of the final award.

9th January, 1986.

Sd|-
(Justice J. M. Tandon)
Chairman

Sd|-
(Chandrika Singh)
Member

Sd|-
(O. P. Dhanuka)
Member

(B. Satyanarayana)
Secretary
III Wage Board for Sugar Industry
Ministry of Labour
New Delhi.